

# समक्ष : माननीय राजस्व मंडल मोप्र० ग्वालियर

(85)

मोक्ता

/2019 पुर्णविलोकन

पुर्णविलोकन-0546/2019/जगद् । भूर्ज

- सुरेश कुमार पुत्र श्री बदीलाल गुप्ता निवासी खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.
- रामस्वरूप पुत्र श्री किशनलाल गुप्ता निवासी रामगढ़ तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ म.प्र.

.....आवेदकगण

विरुद्ध

- सुरेश पुत्र हरी सिंह दांगी निवासी फतेहपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

- श्री नाथ पुत्र श्री गोकुल दांगी निवासी कुआखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

.....मूलअनावेदक

3. राधाबाई पत्नि मांगीलाल

4. दुर्गाप्रसाद पिता मांगीलाल

5. देवीलाल पिता गोरेलाल निवासीगण ग्रम गदियामेर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ म.प्र.

6. पूनमचंद पिता केशर निवासी हरिजन मोहल्ला खिलचीपुर


.....फोरमल

पुर्णविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत मोप्र० भू-राज्य सहिता 1959 विरुद्ध पारित माननीय एस०एस० अली सदस्य राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी 1011/2018 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.04.2019 को पुर्णविलोकन करने वावत ।

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-



*[Signature]*

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवूति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक नं.-०५६६/२७१/द्राष्टव्य/४५२०  
रखान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिगाप्त  
आदि के हस्ताक्षर

16-5-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 15.4.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :-</p> <p>(1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या</p> <p>(2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या</p> <p>(3) अन्य कोई पर्याप्त आधार।</p> <p>आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।</p>	
		 (मनोज गोयल) अद्यक्ष